

**बिहार सरकार**  
**राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग**

**अधिसूचना**

पटना-15, दिनांक- 13 /02/2014

संख्या-3/स्था0रा0भू0बि-01/2014- 33 (3)/रा0, सामान्य प्रशासन विभाग से बिहार प्रशासनिक सेवा के उप सचिव एवं समकक्ष स्तर के सेवा प्राप्त पदाधिकारियों का पदस्थापन अगले आदेश तक के लिए उनके नाम के सामने अंकित स्तम्भ-4 में अंकित पद एवं स्थान पर किया जाता है:-


क्र0	पदाधिकारी का नाम/ कोटि क्रमांक/गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन/सेवा प्राप्त	पद एवं स्थान
1	2	3	4
1	श्री रघुनन्दन झा, 396/11, पूर्णियां	निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम जिला ग्रामीण विकास अभिकरण बांका	जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, औरंगाबाद
2	श्री एनामुलहक सिद्धिकी 447/11, पूर्वी चम्पारण	जिला प्रबंधक, बिहार राज्य असैनिक खाद्य आपूर्ति निगम, भोजपुर	जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पटना
3	श्री राजीव रंजन सिंह, 470/11, समस्तीपुर	जिला प्रबंधक, बिहार राज्य असैनिक खाद्य आपूर्ति निगम, सीतामढ़ी	जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, भागलपुर
4	श्री अरुण कुमार सिंह, 479/11, सारण	निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम जिला ग्रामीण विकास अभिकरण पूर्णिया	जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, बक्सर
5	श्री सतीश कुमार शर्मा 516/11, भोजपुर	निदेशक, लेखा प्रशासन-सह-नियोजन जिला ग्रामीण विकास अभिकरण बांका	जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर
6	श्री रजनीश कुमार, 936/11, नवादा	प्रबंधक, बिहार राज्य विवरेंजेज कॉरपोरेशन, पटना	जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गया

उपरोक्त पदाधिकारी को भू-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-3(जी) के अन्तर्गत बिहार राज्यपाल के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भू-अर्जन कार्यों के सम्पादन हेतु अधिनियम की धारा-11, 13, 15, 16(6), 17, 19(2) एवं 81 को छोड़कर समाहर्ता की शक्ति प्रदत्त की जाती है।


2. पूर्व की प्रक्रियान्तर्गत भू-अर्जन कार्यों के सम्पादन हेतु उपरोक्त पदाधिकारी को भू-अर्जन अधिनियम, 1984 तथा संशोधित, 1984 की धारा-4, 5(ए), 6 एवं 35 को छोड़कर समाहर्ता की शक्ति प्रदत्त की जाती है।

3. उपरोक्त पदाधिकारी विना पारगमनकाल का उपभोग किये हुए योगदान देकर नव पद एवं स्थान का प्रभार निश्चित रूप से ग्रहण करेंगे तथा माह फरवरी, 2014 का वेतनआदि नव पदस्थापित पद से ही प्राप्त करेंगे।


4. पूर्व की सभी अधिसूचना इस हद तक संशोधित समझी जायेगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से  
  
(शशि भूषण तिवारी),  
सरकार के अपर सचिव।


ज्ञापांक-3/स्था0रा0भू0बि-01/2014-33 (3)/रा, पटना-15, दिनांक-13/02/2014  
प्रतिलिपि:-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं बिहार सजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

  
(शशि भूषण तिवारी),  
सरकार के अपर सचिव।


ज्ञापांक-3/स्था0रा0भू0बि-01/2014-33 (3)/रा, पटना-15, दिनांक-13/02/2014  
प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
(शशि भूषण तिवारी),  
सरकार के अपर सचिव।


ज्ञापांक-3/स्था0रा0भू0बि-01/2014-33 (3)/रा, पटना-15, दिनांक-13/02/2014  
प्रतिलिपि:-मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/मुख्य सचिव, बिहार के कोषांग/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/निदेशक, भू-अर्जन, भू-अर्जन निदेशालय, बिहार, पटना/संबंधित जिला पदाधिकारी,/संबंधित कोषागार पदाधिकारी,/संबंधित पदाधिकारी/आयुक्त एवं सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का कोषांग/विभागीय प्रशाखा-3/निगरानी कोषांग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
(शशि भूषण तिवारी),  
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-3/स्था0रा0भू0बि-01/2014-33 (3)/रा, पटना-15, दिनांक-13/02/2014  
प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

  
(शशि भूषण तिवारी),  
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-3/स्था0रा0भू0बि-01/2014-33 (3)/रा, पटना-15, दिनांक-13/02/2014  
प्रतिलिपि:-आई0टी0, मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को विभागीय वेवसाइट upload करने हेतु प्रेषित।

  
(शशि भूषण तिवारी),  
सरकार के अपर सचिव।